राजनीतिक अपराधीकरण का प्रशासनिक तंत्र पर प्रभाव

[1] **डॉ0 अंजीत कुमार चौधरी**
[1] सहायक प्राध्यापक,
[1] राजनीति शास्त्र विभाग,
[1] रमाबल्लभ जालान बेला महाविद्यालय, बेला, दरभंगा

सारांश : **भारत का स्वर्ग कहा जानेवाला प्रांत कश्मीर भी तो अपराधी राजनीतिक मानसिकता के विकास के साथ–साथ नरक बनता चला गया। भारत की आजादी और विभाजन के बाद से भारतीय मुस्लिमों में कट्टरपंथी विचारधारा और भारत विरोधी भावना के दुर्भाग्यपूर्ण सोच की आधारभूमि होना कश्मीर की विडंबना रही है। आजादी और देश विभाजन के बाद से कश्मीर में ऐसा माहौल खड़ा करने में जमायत–ए–इस्लामी नामक अति विवादास्पद संगठन की अहम भूमिका रही। राजनीति के अपराधीकरण का तीव्र प्रक्रिया ने गुजरे दशको से सारी दुनिया को कुछ ज्यादा ही दहशतजदा करना शुरू कर दिया है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में भी हत्यारी राजनीति का संस्कृति नंगे ढंग से काबिज होती चली गयी। राजनीति का अपराधीकरण जब चरम पर पहुंचने लगा तो उग्रवाद का नया अध्याय देश में तेजी से शुरू हुआ। इसलिए देश के विभिन्न प्रांतों में उग्रवादी संगठनों का जोर बढ़ने लगा। उत्तर–पूर्वी प्रांतों में जहां नार्थ–ईस्ट ट्रायबल फोर्स तथा उल्फा, एनएससीएन सरीखे संगठन उभरे तो वहीं जम्मू–कश्मीर में जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, फ्री कश्मीर मिलिट्री और जम्मू–कश्मीर लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी संगठनों का जोर लगातार बढ़ता ही गया।**

IndexTerms **- राजनीतिक, अपराधीकरण, वैश्विक, संगठन .**

राजनीति के अपराधीकरण का तीव्र प्रक्रिया ने गुजरे दशको से सारी दुनिया को कुछ ज्यादा ही दहशतजदा करना शुरू कर दिया है। भारत के विभिन्न प्रान्तों में भी हत्यारी राजनीति का संस्कृति नंगे ढंग से काबिज होती चली गयी। ज्यादा नहीं, सिर्फ दिसंबर 1988 से अप्रैल 1990 तक की घटनाओं का मात्र नमूने के लिए जायजा लें तो पता चलेगा कि देश में आतंकवादी गतिविधियों ने किस तरह भयंकर ढंग से सिर उठाया। 8 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह को केन्द्रीय सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डॉ0 बिया सईद को श्रीनगर में उग्रवादियों ने इसलिए उठा लिया था ताकि जेल में बंद कुछ खूखार अपराधियों को बिना शर्त, वे रिहा करवा सकें। आखिरकार केंद्रीय गृहमंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए वीपी सिंह की सरकार को 12 दिसंबर 1989 को पांच उग्रवादियों को जेल से छोड़ना पड़ा था। तब जाकर डॉ0 बिया को अपहर्ताओं ने छोड़ा था। 18 दिसंबर 1989 को पंजाब में कुछ वरिष्ट पुलिस अधिकारियों सहित आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान उग्रवादियों द्वारा मौत की नींद सुला दिए गए। फिर तुरंत 24 दिसंबर 1989 को पंजाब के आतंकवादियों ने 15 लोगों को मार गिराया। इस घटना के ठीक चार दिन बाद यानी 28 दिसंबर 1989 को तत्कालीन अकाली दल सांसद जगदेव सिंह खुड्डियां का अपहरण आतंकवादियों ने कर लिया। 1990 के जनवरी माह में भी देश में हालात कमोबेश ऐसे ही रहे । ऐन पहली जनवरी 1990 को श्रीनगर में आतंकवादियों के दल ने कई दफ्तरों को एक साथ बम से उड़ा डाला था। फिर 2 जनवरी 1990 को भी श्रीनगर में आतंकवादियों ने जमकर बमबारी की थी। और उसी 2 जनवरी 1990 को पंजाब में अपहृत अकाली सांसद जगदेव सिंह खुड्डियां की लाश बरामद हुई। 7 जनवरी 1990 को दिल्ली में संसद भवन के द्वार संख्या दो पर बम विस्फोट कर आतंकवादियों ने एक तरह से केन्द्र सरकार को खुली चेतावनी दी थी। . इस बीच पंजाब से लेकर कश्मीर में कई लोमहर्षक वारदातें तो हुई ही, 15 जनवरी 1990 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राघवेन्द्र रेड्डी की हत्या आंध्रप्रदेश में आंध्र के नक्सलियों ने कर दी। फिर 24 जनवरी 1990 को श्रीनगर में भारतीय वायु सेना के चार जवान उग्रवादियों द्वारा मार डाले गए। 29 जनवरी 1990 को पंजाब प्रदेश भाजपा के महासचिव गुरूबचन सिंह पतंगा का खून हो गया। 12 फरवरी 1990 को श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक कौल का खून हो गया। 19 फरवरी 1990 को कोहिमा में नागालैण्ड के कांग्रेसी मुख्यमंत्री एससी जमीर पर आतंकवादियों द्वारा जोरदार हमला किया गया पर के बालबाल बच गए। इसके पहले भी जमीर पर इसी तरह का हमला हुआ था। 8 मार्च 1990 को पंजाब के तरनतारन में उग्रवादियों ने दस लोगों को मार दिया। 9 मार्च 1990 को श्रीनगर में चार खुफिया अधिकारी अपहृत कर लिए गए। 14 मार्च 1990 को कश्मीर के प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री रहे स्व0 शेख अब्दुल्ला के घर में आगजनी कर दी गयी। यहीं नहीं 24 मार्च 1990 को बुजुर्ग कश्मीरी कम्युनिस्ट नेता अब्दुल सत्ता रजोर ओर होमगार्ड के उप–पुलिस अधीक्षक गुलाम हसन मार डाले गए। इसी तरह पूर्व विधायक मुस्तफा की जान गयी। 27 मार्च 1990 को श्रीनगर जेल से 12 उग्रवादी जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गए। 9 अप्रैल 1990 को कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर उल हक ओर एचएमटी के महाप्रबंधक एचएल खेड़ा का खून उग्रवादियों ने कर दिया।श 1990 के दिनों में प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने एक राष्ट्रीय पत्रिका को अपने साक्षात्कार में पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद की समस्या को लेकर माकूल टिप्पणी की थी। खुशवंत सिंह का कहना था कि पंजाब की उग्रवादी समस्या सिखों के श्आईडेंटिटी क्राइसिसश की समस्या है। वहीं कश्मीर समस्या के मूल कारण का विश्लेषण करते हुए खुशवंत सिंह का कहना था कि–ष्कश्मीर की समस्या पंजाब से अलग हटकर है। कश्मीर में तो 1947 के बाद यानी आजादी के बाद से ही मुश्किलें शुरू हो गयी थी। इस दौर में कश्मीर में सबसे भयंकर राजनीतिक भूल कश्मीर के दिग्गज नेता शेख अब्दुल्ला को ग्यारह वर्षों तक जेल में बंद रख कर की गयी थी। कश्मीर में लोकतंत्र कभी ठीक से पनप ही नहीं सका। इतरा भीतर से था, जिसे बाहरी देशों से भी भारत में हवा दी

जा रही थी। अलगाववादी राजनीति ने पंजाब, कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड सबको तबाह किया। श्आईडेंटिटी क्राइसिसश के नाम पर चली क्षेत्रीयता की कुत्सित राजनीति ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा। बोफोर्स, फेयरफैक्स से लेकर हर्षद मेहता का स्कैम स्कैंडल देश के सामने एक बड़े घोटाले के रूप में चर्चित होता रहा पर इससे भी संगीन समस्या अलगाववादी राजनीति की थी, जिससे देश निरंतर छलनी होता गया। पंजाब की ही समस्या लें । खुशवंत सिंह ने इसे सिखो के श्आईडेंटिटी क्राइसिसश की संज्ञा दी। पर इस समस्या को परखने के लिए ब्रिटिश शासन काल मे हमें लौटना होगा। ब्रिटिशों ने धर्म के आधार पर उन दिनों समय–समय पर जनगणना करवायी थी। उन दिनों पंजाब के जनगणना आयुक्तों को पंजाब के सिखों और हिन्दुओं में फर्क करने में सुनियोजित असुविधा महसूस हुई थी। लिहाजा 1891 की जनगणना में उनलोगों ने कहा कि सिख वही है जो खालसा है। यानी गुरू गोबिन्द सिंह द्वारा स्थापित अध्यादेश का अनुयायी। इस तरह 1901 की दूसरी जनगणना तक आते–आते पंजाब के उन जैनियों और उन सिखों के साथ समस्या खड़ी हो गई जो अपनी पहचान हिन्दू से अलग करने को सहमत नहीं थे। अंततः उस बार की जनगणना में ऐसे जैनी और सिख श्जैन–हिन्दूश और श्सिख–हिन्दूश के रूप में दर्ज किए गए। 1931 में फिर इस नीति ने खतरनाक करवट ली। इस बार साफ–साफ कहा गया कि कोई सिख–हिन्दू के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा। या तो कोई अपने को सिर्फ हिन्दू दर्ज कराए या सिर्फ सिख। श्सिख हिन्दूश का मामला अब नहीं चलेगा।

इस तरह विवाद काफी गहराया। इसको लेकर उन दिनों पंजाब में बहुत तीखी बहस हुई । नाभा के कन्ह सिंह ने हिन्दू से अलग एक सिख आइडेंटिटीश की जबरदस्त वकालत की। धीरे–धीरे पंजाब के सिखों के दिलो–दिमाग में यह बात बाद के वर्षों में पूरी तरह बैठती चली गयी कि वे मात्र सिख हैं। उनकी पहचान मात्र सिख के रूप में हो, श्सिख–हिन्दूश के रूप में नहीं। इसी सोच के तरह गुरूनानक के बड़े पुत्र श्रीचंद द्वारा स्थापित उदासी परंपरा के विरूद्ध पंजाब में इस आरोप के संग अभियान छेड़ा गया कि उदासी परंपरा के सिख अभी तक हिन्दूवादी धारा से जुड़े हुए हैं। 1920 में सिखों के धार्मिक केंद्रों को सीधे नियंत्रण में लेने के । लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन किया गया और अकालीदल वालों ने युद्ध स्तर पर सभी धार्मिक केन्द्रों पर जबरन कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने अकालियों के इस उन्माद को रोकने के बजाय चुपचाप रह कर बढ़ने दिया। 1925 में यहां तक कि अंगरेजों ने इस मुहिम को बाकायदे श्गुरूद्वारा एक्टश बनाकर कानूनी मान्यता भी दे दी। अंग्रेज समझते थे कि हिन्दुओं को हर तरह से कमजोर कर ही वे आनेवाले लंबे समय तक इस देश पर शासन कर सकेंगे। अंग्रेज वाकिफ थे कि पंजाब के सिख लड़ाकू तेवर वाले हैं। वे हिन्दुओं के साथ रहे तो कल को ब्रिटिश सत्ता के लिए ये चुनौति बन सकते हैं। लिहाजा, अपनी कुटिल नीति से सिख और हिन्दू की भावना को उभारने में अंग्रेज कामयाब हो ही गए । विभाजन के बाद अरसे तक अकाली दल वाले सिख पहचानश की राजनीति के सहारे अपनी राजनीति चलाते रहे। पर सत्तर के दशक तक आते–आते जब अकालियों की राजनीति थोड़ी ठंडी पड़ने लगी तो उनलोगों ने इस मसले को फिर हवा देने की ठानी। अकाली दल के कठमुल्लों ने इस कात को पंजाब के सिखों के बीच हवा देनी शुरू कर दी कि हिन्दू जो भारतीय जनसंख्या के 80 प्रतिशत की भारी तादाद में है, छोटे से श्सिख पहचानश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी शुरू की। भीतरी राजनीतिक स्वार्थ था, इस लड़ाई के बहाने से अपनी राजनीति का सिक्का चलाना। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुई अकालीदल की कार्य समिति ने सिख नेताओं के इस श्युद्ध–प्रस्तावश को स्वीकृति दे दी। यही आनंदपुर साहिब प्रस्तावश के रूप में आज तक जपा जा रहा है। उग्रवादी–आतंकवादी भी इस नयी मुहिम को विस्फोट ढंग से चलने के लिए कूद पड़े द्य जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे उन्मादी धार्मिक नेता का उदय पंजाब के इसी राजनीतिक परिवेश में हुआ। इस समय तक पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिह बादल का अकालीदल पर दबदबा था। साथ ही पंजाब के सम्मानित धार्मिक गुरू हरचंद सिंह लौंगोवाल ओर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान गुरूचरण सिंह तोहड़ा भी अकाली दल पर विशेष प्रभाव रखते थे। उन दिनों पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस वालों ने इस बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए सूझबूझ से काम लेने के बजाय भारी राजनीतिक मूर्खता की। प्रकाश सिंह बादल, लौंगोवाल और तोहड़ा सरीखे अकाली दिग्गजों को औकात में लाने के लिए कांग्रेस ने दमदमी टकसाल के तत्कालीन प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले को साथ किया। कांग्रेस की शह पर अपराधी चरित्र के भिंडरावाले के उदय के साथ ही पंजाब की राजनीति भीषण करवट लेने लगी। इसी बीच तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह (बाद में देश के राष्ट्रपति) और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह के निरंतर बढ़ते मतभेद ने स्थिति और बिगाड़ दी। कहा जाए तो पंजाब की सत्ता से उन दिनों बाहर बैठे अकाली दल वाले जहां श्सिख आइडेंटिटीश सरीखे उन्मादी–संवेदनशील नारे को लहराकर फिर से पंजाब की सत्ता कांग्रेस वालों से छीनने को आतुर थे, वहीं कांग्रेन वाले पंजाब में अपनी सत्ता को बचाने के लिए भिंडरावाले सरीखे अपराधी ब्रांड के लोगों को आकालियों से लोहा लेने के लिए आगे ला रहे थे। राजनीति के अपराधीकरण का इससे वीभत्स रूप पंजाब जैसा उन्नत प्रान्त और क्या देख सकता था? हराभरा प्रांत पंजाब, दिनोंदिन उग्रवादी गतिविधियों में फंसकर खून से सनता गया।

उग्रवादियों ने शुरूआत 24 अप्रैल 1980 को दिल्ली से की, जब निरंकारी संप्रदाय के बाबा गुरूवचन सिंह की हत्या की गयी। फिर 9 सितंबर 1981 को पंजाब केसरीश समाचार पत्र समूह के प्रधान तथा परम राष्ट्रवादी लाला जगत नारायण की हत्या हुई । लाला जगत नारायण की हत्या का षड्यंत्र करने के आरोप में जरनैल सिंह भिंडरावाले को 20 सितंबर 1980 को गिरफ्तार भी किया गया था।

पर कांग्रेसी सरकार के वरदहस्त रहने के कारण भिंडरावाले निश्चिंत थे कि उन्हें लाला जगत नारायण की हत्या के मामले में कुछ भी नहीं होगा। यही हुआ भी। 14 अक्टूबर 1980 को भिंडरावाले को सरकार ने यह कह कर रिहा कर दिया कि जगतनारायण की हत्या के मामले में भिंडरावाले पर जो आरोप था, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जगतनारायण के मामले में भिंडरावाले का चेदाग छूट कर निकलना पंजाब के लिए जहर हो गया। अब भिंडरावाले पंजाब में उग्रपंथ के प्रतीक बन उग्रवादियों को एकजुट करने लगे। वे विदेशी तत्व जो भारत में उग्रवाद के उदय के लिए व्यग्र थे, को भी मौका हाथ आ गया। अपने साधन सें पंजाब के उग्रवादियों को इनलोगों ने भी सींचना शुरू कर दिया। 5 अक्टूबर 1984 को ज्यादातर हिन्दू यात्रियों से लद बस को जब उग्रवादियों ने उड़ा दिया तो हड़कंप मच गया। अगले दिन पंजाब में दरबारा सिंह की कांग्रेसी सरकार को विवश हो केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निलंबित किया और वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गयी। केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने भी अब जाकर महसूस किया कि अकालियों को ठंडा करने के लिए जो उपाय लगाए गए थे, वे घातक सिद्ध हुए और पंजाब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। जिस भिंडरावाले को कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए उभारा था, वही अब पंजाब के उग्रवादियों का मुखिया बन बैठा था। आखिरकार बाध्य हो श्रीमती गांधी ने 6 जून 1984 को पंजाब में श्ऑपरेशन ब्लू स्टारश का आदेश दिया। सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर उग्रवादियों के साथ जमकर मुठभेड़ की । इस आपरेशन ब्लू स्टार में ही भिंडरावाले और उसके साथी स्वर्ण मंदिर में सेना के हाथों मारे गए। पर आपरेशन ब्लू स्टार की घटना के बाद से फिर पंजाब की राजनीति ने करवट ली। पंजाब के राजनीतिज्ञों ने वहां के सिखों के बीच इस बात को हवा देनी शुरू की कि स्वर्ण मंदिर में सेना द्वारा ब्लू स्टार आपरेशन करवा कर सिखों के सम्मान को आहत किया गया। जबकि सबकी चिंता यह होनी चाहिए थी कि आपरेशन ब्लू स्टार के बाद किन उपायों से पंजाब में उग्रवाद को अब कभी सिर उठाने का कोई मौका नहीं दिया जाए। पर ऐसा किसी ने नहीं सोचा द्य पंजाब फिर एक नये चक्रवात में उलझ गया । पंजाब के सत्तालोलुप राजनीतिज्ञ सिखों को सहमत करने में कामयाब हो गए कि स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्रवाई अनुचित हुई। आखिरकार श्रीमती गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख सुरक्षाकर्मियों ने उसी आक्रोश में प्रधानमंत्री निवास में गोलियों से छलनी कर दिया। इस तरह अंग्रेजों के जमाने में बोयी गयी पंजाब की आग ने श्रीमती गांधी सरीखी प्रधानमंत्री को मौत की नींद सुलाकर दम लिया। पर यही अंत नहीं था। अपनी मां की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो जलता हुआ पंजाब उनके भी सामने मुंह बाये खड़ा था। पंजाब समस्या का हल करना उनके लिए पहला जरूरी काम था। इसी पंजाब समस्या ने उनकी मां को उनसे छीन लिया था। लिहाजा 21 जुलाई 1985 को राजीव गांधी ने पंजाब में अमन के एक नये अध्याय की शुरूआत करने के लिए संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया । पर यह भी अंत नहीं था। इस समझौते के एक माह लगने के साथ ही 20 अगस्त 1985 को पंजाब के संगरूर के समीप शेरपुर गुरूद्वारा में एक कार्यक्रम के दौरान उग्रवादियों ने संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की हत्या कर दी। पर इसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत कर अकालीदल (लौंगोवाल) की सरकार का गठन सूरजीत सिंह बरनाला के मुख्यमंत्रित्व में 29 सितंबर 1985 को हुआ । लौंगोवाल–राजीव समझौता ठंडे बस्ते में ही पड़ा रह गया। पंजाब के फाजिल्का और अबोहर के हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र को हरियाणा को स्थानांतरित किए जाने पर विचार करने के लिए तथा चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब के हवाले किए जाने संबंधी निर्णय का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने जो दो आयोग गठित किए. वह भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इस तरह पंजाब अपनी तबाही में तड़पता ही रहा। वैसे बरनाला ने अपने शासन काल में उग्रवादियों को ठिलाने लगाने के लिए बेशक कुछ कोशिश की। जुलियों रिबेरियों जैसे दमदार अफसर को पहली अप्रैल 1986 को पंजाब का पुलिस महानिदेशक बना कर तत्कालीन मुख्यमंत्री बरनाला ने यही जताया था। पर पंजाब का उग्रवाद शुद्ध राजनीतिक समसया से जुड़ा मामला था जो बिना राजनीतिज्ञों की पूरी इच्छाशक्ति के कभी हल होने बवाला नहीं था। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। राजनीतिक परिस्थितियाँ उलझती ही जा रही थी। पांच प्रधान पंथियों ने प्रतिद्वंद्वी अकाली गुटों को भंग करने की घोषणा करते हुए संयुक्त अकालीदल का गठन कर लिया। मुख्यमंत्री बरनाला फिर भी संतुलित व्यक्ति थे। अकालतख्त पर कार्यकारी प्रधान के रूप में दर्शन सिंह रागी आये। पर रागी को भी उग्रवादियों ने अकालतख्त से जाने को मजबूर कर दिया। उग्रवादी तत्वों ने रागी की जगह अकाल तख्त पर घोषित उग्रवादी जेएस मनोचहल को काबिज कर दिया। इस तरह पंजाब की बढ़ती तबाही को देख केंद्र ने फिर 11 मई 1987 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन की बहाली की घोषणा की। पर , राष्ट्रपति शासन में भी उग्रवादी अपना खूनी दौर बढ़चढ़कर चलाते रहे। 1991 में केन्द्र ने एक बार घोषणा भी की थी कि पंजाब विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा पर 23 अकाली उम्मीदवारो की हत्या के कारण केंद्र ने चुनाव टाल दिया था। नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री पद रू पर आए तो 19 फरवरी 1992 को उन्होंने पंजाब में चुनाव कराया। इस बार कांग्रेस ने अरसे बाद वहां बेअंत सिंह के मुख्यमंत्रित्व में सरकार बनायी। अब तक खून–खराबों के सिलसिले से पंजाब के लोग तबाह हो चुके थे। लिहाजा, बेअंत सिंह ने अपनी सूझ–बूझ और केपीएस गिल सरीखे कारगर पुलिस प्रधान को भरपूर राजनीतिक विश्वास देकर पंजाब में थोड़ी शांति लाने में कामयाबी पायी। पंजाब की पूरी व्यथा राजनीति और सत्ता में अपराधी तत्वों द्वारा किसी सूरत में काबिज होने की लालसा की वीभत्स कथा नहीं तो और क्या है?

भारत का स्वर्ग कहा जानेवाला प्रांत कश्मीर भी तो अपराधी राजनीतिक मानसिकता के विकास के साथ–साथ नरक बनता चला गया। भारत की आजादी और विभाजन के बाद से भारतीय मुस्लिमों में कट्टरपंथी विचारधारा और भारत विरोधी भावना के दुर्भाग्यपूर्ण सोच की आधारभूमि होना कश्मीर की विडंबना रही है। आजादी और देश विभाजन के बाद से कश्मीर में ऐसा माहौल खड़ा करने में जमायत–ए–इस्लामी नामक अति विवादास्पद संगठन की अहम भूमिका रही। इस संगठन की स्थापना 1941 में मौलाना मौदूदी ने लाहौर में की थी। जब आजादी पाने के बाद भारत का विभाजन हुआ तो वह रामपुर में था। वैसे 1945 से ही यह संगठन कश्मीर इलाके में अपनी गतिविधियां तेज कर चुका था। आजादी के बाद यह संगठन कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लिए एक चुनौती बनता गया। शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस को भी इस संगठन से काफी मुखालफत झेलनी पड़ी क्योंकि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की राजनीतिक पार्टी रही थी। 1972 में पहली बार जमायत–ए–इस्लामी ने कश्मीर विधानसभाई चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 1975 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में स्व० शेख अब्दुल्लश ने जमायत–ए–इस्लामी के साथ सख्त रूख अपनाया। 1977 के आम चुनाव में इस संगठन ने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तो नहीं खड़े किए लेकिन जनतापार्टी को अवश्य समर्थन दिया। जमायत–ए–इस्लामी जिसका लगातार संपर्क पाकिस्तान से था, को 1979 में भरपूर झटका लगा था, जब पाकिसतान के पूर्व प्रधानपंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो गयी। दरअसल, जमायत–ए–इस्लामी को जो दूसरा हिस्स पाकिस्तान में था, उसने भुट्टो के विरूद्ध मोर्चाबंदी का पाकिस्तान के फौजी शासन को समर्थन दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी हो गयी तो कश्मीर में भुट्टो के प्रति हमदर्दी रखनेवाले मुस्लिमों ने कश्मीर में जमायत–ए–इस्लामी के नेताओं को आड़े हाथों लेना शुरू किया। 1980 के मध्य में भी जमायत–ए–इस्लामी वालों ने कश्मीर में मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा कर कश्मीर मे अपना राजनीतिक सिक्का कायम करने का प्रयास किया था, पर शेख अब्दुल्ला जैसी अजीम हस्ती की कश्मीर में मौजूदगी के कारण इसकी यह मुहिम नाकामयाब होकर रह गयी। पर कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां उस समय से लगातार कमजोर होती गयी थीं, जब से नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस जैसे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल एक–दूसरे से चुनाव में टकराने लगे। जहां कांग्रेस वालों ने जम्मू–कश्मीर के हिन्दुओं के सवालों को थाम लिया, वहीं स्वाभाविक रूप से नेशनल कांफ्रेंस वालों ने कश्मीर के मुसलमानों के मसले को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए थाम लिया। इस तरह की राजनीति में सांप्रदायिकता धीरे–धीरे कश्मीर की खुशनुमा फिजां को झुलसाने लगी। 1986 मे घाटी में भीषण दंगे का दौर अंततः इस राजनीतिक विकृत के रूप में सामने आया । इसी दौरान नेशनल कांफ्रेंस में भी दो फाड़ हो गया। एक स्व0 शेख अब्दुला के पुत्र फारूख अब्दुला के नेतृत्व को नेशनल कांफ्रेंस और दूसरा शेख अब्दुल्ला के दामाद जीएम शाह के नेतृत्व वाला नेशनल कांफ्रेंस । कांग्रेस ने फारूख को कमजोर करने के लिए जीएम शाह को मुख्यमंत्री की गद्दी दिलायी। इस तरह कश्मीर का वातावरण नष्ट होता चला गया। ऐसे ही मौके पर सांप्रदायिक कट्टरपंथी शक्तियों ने कश्मीर को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। 1987 के चुनाव में कट्टरपंथी शक्तियों ने मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट नामक संगठन की ओर से उम्मीदावार भी खड़े किए। इन्हें चुनाव में यो तो सिर्फ चार सीट मिल सकी पर कुल मतदान का 20–2 प्रतिशत मत इस फ्रंट को हासिल हुआ था। कश्मीर तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहा थ। मोहम्मद मकबूल बट्ट सरीखे उग्रवादी पूरे कश्मीर में कट्टरपंथियों–उग्रवादियों को संगठित करने लगे थे। वैसे पाकिस्तान के मातहत के कश्मीर में मकबूल बट्ट 1958 में ही चला गया था, पर कश्मीर में भूमिगत उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मकबूल बट्ट ने 1964 में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंटश की स्थापना की थी।

1966 में मकबूल बट्ट ने कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर एक खुफिया अधिकारी का खून कर दिया। इस घटना को लेकर मकबूल बट्ट की गिरफ्तारी भी हुई ओर 1968 में उसे अदालत द्वारा फांसी की सजा भी सुनायी गयी पर फांसी लगने के पहले जेल से पाकिस्तान भागने में वह कामयाब हो गया था। 1976 में वह फिर भारत की सीमा में दाखिल हुआ। फिर उसकी कुछ घटनाओं को लेकर गिरफ्तारी हो गयी। इसी बीच बर्मिधम श्युनाइटेड किंगडम स्थित एक भारतीय राजनयिक रविन्द्र म्हात्रे की हत्या जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट श्जेकेएनएलएफश वालों ने कर दी थी। 1984 के फरवरी माह में इसी मामले को लेकर मकबूल बट्ट को फांसी दे दी गयी। अपने प्रमुख को फांसी लग जाने से जेकेएनएलएफ के उग्रवादी खासे क्षुब्ध हुए। जेकेएनएलएफ तथा जम्मू कश्मरी लिबरेशन फ्रंट श्जेकेएलएफश दोनों उग्रवादी संगठन कश्मीर में सक्रिय थे ही। जेकेएलएफ की स्थापना 1976 में ब्रिटेन के रहनेवाला अब्दुल जब्बार बट्ट ने की थी। पर 12 सितंबर 1982 को जेकेएलएफ भी दो टुकड़ों में बंट गया। नये गुट का नेतृत्व अमानउल्ला खां कर रहा था। हालांकि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने जांच के बाद यह माना कि भारतीय राजनयिक रवीन्द्र म्हात्रे की हत्या अमानउल्ल खां गुटवाले जेकेएलएफ ने की थी पर स्पष्ट साक्ष्य इस बारे में कभी नहीं मिल सका। भाजपा व आरएसएस वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान की मुखालफत कर मामले को और सांप्रदायिक उभार अकसर देते रहे थे।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां शिथिल नहीं की जा सकीं। पी0 वी0 नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आने के दो साल बाद कश्मीर की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया गया और जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल पद से गरीश चन्द्र सक्सेना को हटाकर जेनरल कृष्णा राव को बिठा दिया गया। इसके पहले भी जेनरल राव जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल के पद पर

थे।पर 1990 के जनवरी माह में उन्हे केंद्र की वी० पी० सिह सरकार ने राज्यपाल पद से चलता कर दिया था। उन दिनों कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की साझेदारी से जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर आसीन डा0 फारूख अब्दुल्ला ने जेनरल राव के हटाये जाने का विरोध भी किया था। जेनरल राव के राज्यपाल पद से हटने के बाद जगमोहन राज्यपाल पद पर लाये गए और मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने त्यागपत्र दे दिया था। फिर वहां राष्ट्रपति शासन की बहाली हो गयी थी। केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने जम्मू–कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए कारगर राय देने हेतु तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जार्ज फर्नाण्डिस को विशेष दायित्व सौंपा था। यह विशेष बात थी कि वीपी सिंह की केंद्र सरकार में कश्मीरी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ही गृह मंत्री पद पर थे। पर कश्मीर के उग्रवादियों ने उनकी बेटी के साथ अपहरण की वारदात कर उन्हें दयनीय बना दिया था। कुल मिलाकर राजनीतिक दावपेंच ने कश्मीर को अपराधियों की गोद में झोंक दिया और खूबसूरत कश्मीर सदैव कराहता रहा।

अलगाववादी राजनीति हर तरफ लहकती गयी। 13 अप्रैल 1986 को पश्चिम बांगल के पहाड़ी शहर दार्जिलिंग में स्थित विस्फोटक थी। नेपालियों के इस नव वर्ष के अवसर पर षोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंटश (जीएनएलएफ) नामक संगठन के लोग मांग कर रहे थे कि भारत में रह रहे नेपाली मूल के लोगों के लिए अलग प्रांत बनाया जाए। जीएनएलएफ के नेता सुवास घिसिंग से केंद्र सरकार की लंबी बातचीत के बाद अंततः हिल कौंसिल का वहां गठन किया गया। जाति प्रधान प्रदेश बिहार जो जातीय सेनाओं के मध्य युग में ही अब तक ठहरा हुआ था,यहां के दक्षिणी हिस्से में चल रहे झारखंड आंदोलन का तेवर भी 1993 आते –आते उग्रवादी होने लगा। सचमुच हालात निरंतर बुरे ही होते गए। 1952 से ही उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक अलग उत्तरा खंड प्रांत के गठन की मांग का आंदोलन भी राज्य की गठन तक सक्रिय था । राजनीति ने सब तरफ कहर मचाया। देश के इस सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश को ही लें, (जिसने पंडित नेहरू से लेकर चंद्रशेखर तक देश को कई प्रधानमंत्री दिए) तो जिस तरह से शातिर अपराधियों तथा हिस्ट्रीशीटरों ने यहां की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया, वह दहलानेवाला है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल लोमहर्षक खूनी राजनीति को लेकर सदैव सुरखियों में रहा । गोरखपुर में मुठभेड़ की राजनीति का कुछ ऐसा सिलसिला रहा कि बीबीसी ने इस इलाके को षहिनदुस्तान को शिकागोष तक कह डाला । माफिया सरगना हरिशंकर तिवारी और बीरेन्द्र प्रताप शाही के आपसी खूनी संघर्ष में तकरीबन दो सौ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। गोरखपुर के कौड़ी राम विधानसभा क्षेत्र से 1977 में जनतापार्टी टिकट पर विधायक बने रवीन्द्र सिंह की हत्या मुठभेड़ की इसी राजनीति के तहत हो गयी थी। बाद के वर्षों में ये दोनों बाहुबली उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी सुशोभित हुए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री हुए मुलायम सिंह यादव तथा कांग्रेसी दिग्गज बलराम सिंह यादव के खतरनाक खेल का कुछ ऐसा ही वीभत्स नजारा चलता रहा। मेरठ से लेकर गाजियाबाद के इलाके तक राजनीतिक अपराधियों का आतंक सदैव सिर चढ़कर बोलता रहा। 28 जनवरी 1991 को मेरठ के तहत बरनावा क्षेत्र से तत्कालीन जनतादल–एस विधायक भोपाल सिंह की हत्या सर्वाधिक सुरखियों में आयी थी। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे भोपाल सिंह राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चरण सिंह की पार्टी लोकदल के माध्यम से आए थे। 1985 में वे दमकिपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। 3 दिसंबर 1990 को मेरठ के अत्यंत व्यस्त इलाके बेगमपुल पर मेरठ के बिनौली प्रखंड के प्रमुख शिवचरण तथा उनके एक सहयोगी राजेन्द्र जब सरेआम मार डाले गए तो तत्कालीन विधायक भोपाल सिंह और उनके तीन अंगरक्षकों पर इस हत्या को लेकर मामला दर्ज हुआ था और तभी से मेरठ में सनसनी मची हुई थी। इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए विधायक भोपाल सिंह जब जेल से चिकित्सा कराने के नाम पर मेरठ के जिला अस्पताल में जाकर भरती हो गए कि वहीं 28 जनवरी 1991 की सुबह उनकी हत्या हो गयी। 3 दिसंबर 1990 को शिवचरण और उनके साथी की हतया के ठीक 55 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1991 को हुई भोपाल सिंह की हत्या का मतलब मेरठ के लोगों की नजर में साफ था। पर भोपाल सिंह की हत्या के बाद भी मेरठ शांत नहीं रहा। 1991 के अप्रैल माह तक मेरठ इलाके में एक लगातार तेरह राजनीतिक लोगों की हत्या हुई। इन मारे गए लोगों में प्रो० सत्यवीर सिंह जतो 1990 में मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से जनतादल टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, सदर क्षेत्र के प्रखंड प्रमुख सुरेन्द्र सिंह राठी, किठौर शहरी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद इलियास तथा जनतादल से जुड़े छात्र नेता श्रीपाल प्रमुख थे।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद इलाके के आतंक धर्मपाल यादव (प्रसिद्ध नाम डीपी यादव) जिनके आपराधिक कारनामों से पुलिस रिकार्ड भरा हुआ था, न सिर्फ जनतादल टिकट पर विधायक हुए थे, बल्कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार में उन्हें मंत्री पद पर भी बिठाया था। विधायक –मंत्री बनने के पंद्रह साल पहले गाजियाबद जिले के बिसरख प्रखंड के तहत सरफाबाद गांव से साइकिल पर दूध बेचनेवाले धर्मपाल यादव, पहले शराब के व्यवसाय में दाखिल हुए और उसके बाद सीधे राजनीति में । पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरिशंकर तिवारी और बीरेन्द्र शाही से भी बढ़–चढ़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मपाल यादव ने अपना ऐसा आतंक कायम किया कि वे मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में पश्चिमी उत्तर प्रदश के मिनी मुख्यमंत्री कहलाने लगे थे। हत्या, लूट, अपहरण, तस्करी को ऐसा कोई भी जघन्य आपराधिक आरोप नहीं था, जो धर्मपाल यादव पर नहीं था। – उत्तर प्रदेश में कई विधायक मारे गए । मेरठ के भोपाल सिंह के अलावे इनमें देवरिया के पूर्व विधायक रंजीत, शारदा प्रसाद रावत, विलायती राम कत्याल आदि के नाम प्रमुख हैं।

कानपुर के कांग्रेसी विधायक विलायती राम कत्याल की हत्या में सिख आतंकवादियों के नाम जब आए तो लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि, कत्याल की हत्या के ठीक 18 घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ दीक्षित ने विधानसभा में बड़े गर्व से घोषणा की थी कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में इस प्रांत में दाखिल नहीं होने दिया जायेगा। पर इस उद्घोषणा के तत्काल बाद कानपुर में विधायक कत्याल की वहां सक्रिय सिख आतंकवादियों द्वारा हुई हत्या ने सबको सहमा कर रख दिया था। मेरठ, गोरखपुर और इटावा की तरह कानपुर भी राजनीतिक अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। पुलिस दस्तावेज बताते रहे है कि कानपुर नगर निगम के चुनावों में लगातार जीतते रहे तकरीबन सौ पार्षद पर खून, डाकेजनी, बलात्कार, तस्करी सरीखे अनगिनत मामले दर्ज थे। इसी तरह कानपुर के ग्रामीण अंचल के अनगिनत पंचायतों के प्रमुख पद पर वे लोग ही ज्यादातर काबिज रहे, जो घोषित रूप से डाकू रह चुके थे। डकैतों का भी राजनीति में गजब ढंग से हस्तक्षेप रहा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के तहत राठ का रहनेवाला कुख्यात अपराधी राजू भटनागर हालांकि इलाहाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया पर उसके ऊंचे राजनीतिक संपर्क की चर्चा सदैव होती रही थीं। अपनी मौत के कुछ वर्ष पहले राजू भटनागर ने एक चर्चित राष्ट्रीय पत्रिका को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा था कि –ष्एक बात मैं बताना चाहता हूं। बड़े–बड़े राजनेता मेरे मित्र और शुभचिंतक हैं। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के विधायकों एवं सांसदों के घरों में रहा हूं। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, जिनमें मंत्री भी हैं, और ये जानते हैं कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं।ष राजू भटनागर पर बेहिसाब जघन्य आपराधिक मामले तो थे ही, एक बार अंतरराष्ट्रीय शातिर अपराधी चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ जेल से फरार करवाने में अपनी भूमिका को लेकर भी वह जोरों से सुरखियों में आया था।

उत्तर प्रदेश के सांसदों पर भी तरह–तरह के आरोप लगते रहे है। 12 दिसंबर 1980 को आगरा में पदस्थापित एक रेल कर्मचारी हर प्रसाद श्रीवास्तव ने फिरोजाबाद सुरक्षित संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन लोकदल सांसद राजेश कुमार सिंह के विरूद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि सांसद ने उनकी पुत्री मीरा श्रीवास्तव का अपहरण कर लिया है। उत्तर प्रदेश के ही फैजाबाद से कम्युनिस्ट सांसद रहे मित्रसेन यादव पर भी कई आपराधिक मामले लदे थे। इसी फैजाबद संसदीय क्षेत्र से बाद में भाजपा टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए बजरंग दल के प्रधान नेता विनय कटियार पर 1992 के मध्य में बाराबंकी जिले की एक लड़की कुसुम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सांसद कटियार ने महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया। विनय कटियार की सफाई थी कि मामला पूरीतरह राजनीति से प्रेरित है और उन्हें बदनाम करने के लिए है। इस तरह मामला राजनीतिक बयानबाजियों के साथ रफादफा हो गया। नरसिंह राव की सरकार में केन्द्रीय गृह–उप मंत्री रामलाल राही ने 1993 के प्रारंभिक दिनों में एक राष्ट्रीय पत्रिका को साक्षात्कार में कहा भी कि–ष्राजनीति में अपराधियों के बढ़ते जोर को लेकर जहां तक मुझे स्मरण है, लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि नेताओं ने चिंता जाहिर की थी। मैंने संसद में अपने उत्तर में कहा था कि बेशक यह शर्मनाक है, इससे निजात पाने के लिए सबकों गंभीरता से सोचना चाहिए और यदि सभी दल के लोग दिल से तैयार हो जाएं तो सरकार भी तहेदिल से मदद करने को तैयार है। पर इसके बाद कुछ नही हुआ। संसद की चाहरदीवारी से यह बात फिर बाहर नहीं ही निकल सकी।ष हालांकि, ऐसी पहली बार भारतीय राजनीति के अध्याय में हुआ जब 1992 के नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने देश के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक दिल्ली में बुलायी थी कि राजनीति के अपराधीकरण पर कैसे, किन उपायों से रोक लगायी जाए। नरसिंह रव की इस दिशा में पहलकदमी से लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद देश भर में राजनीति से अपराधियों के उन्मूलन का कोई ठोस कारगर उपाय अब निकल सकेगा। पर दुर्भाग्य यह हुआ कि उस बैठक के बाद फिर इस विषय पर केंद्र सरकार ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। 1993 के अप्रैल माह में केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री राजेश पायलट ने भी बरेली में आयोजित एक हिन्दी दैनिक के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा–ष आज देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें समझना होगा कि देश से ऊपर कोई नहीं। राजनीति के चरित्र में आयी गिरावट से ही राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट आयी है। राजनीतिक दलों को भी अपना नजरिया बदलना चाहिये। चुनाव के समय सिर्फ यह देखा जाता है कि कौन सीट निकाल सकता है। ऐसे में ही माफियाओं को टिकट मिल जाता है।

खतरे की तलवार आज तक झूल रही है। अपराधी रिकार्ड के लोग विधानसभाओं से लेकर संसद तक में, मजे से बैठे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में नाजिर अली, लटूरी सिंह, रमाकांत यादव सरीखे लोगों की भरमार लगी ही रही जिनकी आपराधिक लीलाएं पुलिस रिकार्ड में भरी पड़ी थीं। जौनपुर में पदस्थापित अवर अभियंता जंगली प्रसाद भारती की हत्या को लेकर विधायक रमाकांत यादव खासे विवादास्पद हुए थे । गोंडा इलाके के तुलसीपुर से कभी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधायक बने निजवान जहीर पर भी खूनी वाकयों के मामलें चलते रहे थे। जैनपुर के मडियाहू से विधायक रहे दूधनाथ यादव, सीतापुर के एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे ओमप्रकाश गुप्त, गोंडा जिले के एक क्षेत्र से विधायक रहे शमीउल्ला खां, बस्ती के कप्तानगंज इलाके से विधायक रहे कृष्ण किंकर सिंह, बहुचर्चित बाहुबली विधायक रामपाल वर्मा, बाबूलाल तिवारी जैसे बाहुबलियों की भरमार उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदैव लगी ही रही। सांप्रदायिक राजनीति के मुख्यालय के रूप में अयोध्या के मंदिर–मस्जिद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना रहा। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को भाजपा बजरंगदल, आरएसएस और वश्वि हिन्दू परिषद वालों ने अयोध्या मे ढहा दिया तो पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव की कुछ ऐसी स्थिति नये सिरे से उत्पन्न हो गयी कि भारत के लोग भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक उन्माद जैसी वीमत्स

संभावना की कल्पना कर एकबारगी कांप उठे। राजनीति में धर्म के दुरूपयोग पर रोक लगाने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने महत्वपूर्ण बैठक की, पर उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला । यों भी, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद, बनारस सरीखे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर सांप्रदायिक तनाव से अकसर त्रस्त होते रहे है। अलीगढ़ स्थित मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना महान राष्ट्रभक्त सर सैयद अहमद खान द्वारा 1920 में की गयी थीय भी सदैव अपराधी छात्रों की गिरोहबंदी से त्रस्त रहा है। इन अपराधी छात्रों को सदैव राजनीतिज्ञों की शह रही और यह गौरवशाली शिक्षण केंद्र तबाह होता रहा । अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय का यह सामूहिक खूबसूरत तराना अपना बुरी हालत पर बिसरने को बाध्य रहा–ष्ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं, शरसाहे निगाहे नरगिस हूं, पाबस्तए गेसुए बुलबुल हूं। अति का बोसा लेने को, सौ बार झुका आकाश यहां, खुद आंख से हमने देखा है, बातिल का शिकस्ते फाश यहां।ष पर अलीगढ़ रू मुस्लिम विश्वविद्यालय का यह सामूहिक तराना आज पूरे भारत के संदर्भ में रो रहा है। देश की आजादी के साथ उभरी सांप्रदायिक राजनीति ने इस चमन को एक बार पहले तो जलाया ही, आजादी के कुछ दशक बाद से फिर सांप्रदायिक राजनीति इस चमन को जलाने लगी। श्बातिल का शिकस्ते फाशश यानी असत्य की हार। पर इसके बजाय असत्य इस देश के सामाजिक जीवन पर राजनीति के जरिये विजय प्राप्त कर लगातार हावी होता गया। राजनीति ने पूरे राष्ट्र को सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, उग्रवाद, जातिवाद के जहर में डूबो कर रख दिया। भारत यानी भा से प्रकाश और रत यानी प्रकाश में रत! लेकिन कुस्तित राजनीतिक संसकृति ने प्रकाश में रत इस राष्ट्र को अंधकार में रत रहने को विवश कर दिया। उत्तर प्रदेश के कई प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने के लोग भी कुछ संगीन वाक्यों को लेकर काफी विवादास्पद हुए। लखनऊ की एक 42 वर्षीया महिला विमला रस्तोगी की रहस्यमय मौत के सिलसिले में स्व० पंडित कमलापति त्रिपाठी के सबसे छोटे पुत्र मंगलापति त्रिपाठी की खासी खिंचाई हुई थी। 25 अक्टूबर 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुत्री सरोज वर्मा ने खुदकुशी कर ली थी। सरोज वर्मा उत्तर प्रदेश में लोकदल (ब) की विधायक भी थीं। 28 जुलाई 1988 को चर्चित खिलाड़ी सैयद मोदी का खून हो गया था। मोदी हत्या कांड के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दिग्गज संजय सिंह का नाम खासा विवादास्पद हुआ था। अरसे तक उत्तर प्रदेश में विधायक तथा मंत्री रहे संजय सिंह, चंद्रशेखर की अल्पकालीन केंद्र सरकार में इन तमाम विवादों के बावजूद केंद्रीय संचार राज्यमंत्री बनाये गए थे। मोदी हत्याकांड के सह–अभियुक्त बलई सिंह की हत्या भी 27 फरवरी 1991 को रहस्यमय परिस्थिति में हो गयी थी। राजनीतिक अपराधीकरण के दौर में नौकरशाही भी तेजी से अपराधग्रस्त होती चली गयी। उत्तर प्रदेश के आईसीएस अधिकारी बीबी सिंह, अपनी नेपाली नौकरानी बिलसिया की हत्या को लेकर खासे विवादास्पद हुए थे। बिलसिया हत्याकांड का यह मामला प्रीवी काउंसिल तक गया था। बाद में बीबी सिंह इस मामले से बरी तो हो एग थे, लेकिन इस घटना से वे मानसिक रूप से इतने परेशान हो चुके थे कि अंततः उन्होंने एक दिन आत्महत्या कर ली थी।ष

हरियाणा जैसा छोटा प्रांत भी आपराधिक राजनीतिक के चुंगल से बचा नहीं रह सका। देश के पूर्व उप–प्रधानमंत्री तथा हरियाणा राजनीति के दिग्गज चौधरी देवीलाल तथा उनके बेटों ने सत्ता में आने के बाद भयंकर अराजकता मचायी थी। हरियाणा की राजनीति में उन दिनों अपराधियों का वर्चस्व तो जमकर बढ़ा ही और खुद देवीलाल का घर खून के एक मामले को लेकर देश भर में चरचा का विषय बन गया था। दरअसल, देवीलाल के पोते अभय सिंह की पत्नी सुप्रिया का खून 11 नवंबर 1988 को अपने ही रिवाल्वर से हो गया था। कहा तो यह गया कि भरे हुए रिवाल्वर से गोली खुद सुप्रिया के हाथ से धोखे में छूट गयी थी और उसकी मौत हो गयी । पर इस हत्याकांड को लेकर देवीलाल–परिवार शक के दायरे से उबर नहीं सका था।

मध्य प्रदेश भी इस दौर में पीछे नहीं रहा। निरंकुश राजनीतिक सत्ता ने कई हादसे मध्यप्रदेश में किए जिसकी सर्वाधिक उल्लेखनीय मिसाल बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की 25 मार्च 1966 को एक पुलिस मुठभेड़ में हत्या की घटना है। तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार का कहना था कि बस्तर के महाराजा श्री भंजदेव, बस्तर के आदिवासियों को अकसर सरकार के खिलाफ भड़काते रहते थे। चंबल के बीहड़ में सक्रिय दस्यु गिरोहों से भो राजनीतिज्ञों ने अच्छा समीकरण गांठ रखा था। मध्यप्रदेश के भिंड–मुरैना इलाके में सक्रिय कई दस्यु गिरोहों से महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों के संबंध जगजाहिर रहे थे। ऋऋऋ 28 सितंबर 1991 को मध्यप्रदेश के मशहूर मजदूर नेताशंकर गुहा नियोगी का खून हो गया था। इसके कुछ साल पहले मध्यप्रदेश के दमोह क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक रहे चंद्रनारायण टंडन के पुत्र विजय टंडन की हत्या को लेकर भी भारी राजनीतिक विवाद मचा था। विजय की हत्या में उसी क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण युवा राजनीतिज्ञ का नाम आया था। इसी तरह 1988 के दिनों में मध्य प्रदेश की कांग्रसी सरकार में कानून मंत्री रहे बालेन्दु शुक्ल का नाम ग्वालियर जिले के एक चर्चित राजनीतिक कार्यकर्ता कप्तान सिंह सोलंकी की हत्या के प्रकरण में गूंजा था। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर में कांग्रेसी नेता मोहन बल्लीवाल के खून में कुछ भाजपाइयों का नाम सुर्ख हुआ था। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के आतंक कुवर अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा की राजनीति में अच्छी पैठ रही थी। एक समय में मध्य प्रदेश के गृहमंत्री रह चुके जयपाल सिंह तक भैयाराजा से आतंकित रहते थे। मध्यप्रदेश के कुछ विधायक बलात्कार जैसा प्रकरणों को लेकर भी खासे विवादास्पद हुए। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायक गणपत राव धुर्वे पर मालती श्रीवास्तव नामक एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था कि भोपाल स्थित विधायक विश्राम गृह में विधायक धुर्वे ने अपने दोस्तों के

संग उनका शीलहरण किया। इसी तरह राजस्थान के एक लोकदल विधायक जगमाल सिंह पर भी विधानसभा में एक हरिजन लड़की के संग बलात्कार करने का मामला उछला था। राजस्थान के उदयपुर की स्वाति लोधा नामक एक लड़की ने अजमेर के कांग्रेसी विधायक राजकुमार जयपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके अलावे राजस्थान की राजनीति में शिवचरण माथुर मुख्यमंत्रित्व काल में भरतपुर से विधायक रहे भरतपुर राजघराने के राजा मानसिंह की पुलिस मुठभेड़ में हत्या राजस्थान की राजनीति में कभी न भूली जानेवाली लोमहर्षक घटना है। राजा मान सिंह जो भरतपुर के महाराजा बृजेन्द्र सिह के अनुज थे, 1956 से 1984 की अवधि तक भरतपुर के लोगों में अपनी गहरी पैठ के कारण विधायक होते रहे थे। हालांकि कभी–कभार उनका राजशाही तेवर उभर कर आ जाता था। 1985 में जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उसी दौरान उनके क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव सभा करने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर 20 फरवरी 1985 को भरतपुर आने वाले थे। मुख्यमंत्री के लिए सभास्थल पर मंच आदि बन कर तैयार था। राजा मान सिंह ने उस दिन तभी हेलीकाप्टर आने की आवाज सुनी कि वे तत्काल अपनी जोंगा जीप से मंच को ठोकर मार–मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। तबतक मुख्यमंत्री माथुर हेलीकॉप्टर से उतर कर कुछ ही दूर बढ़े थे। उत्तेजित राजा मान सिंह ने सामने लगे हेलीकॉप्टर को भी जोंगा जीप से क्षतिग्रस्त कर किया और फिर अपने चुनाव कार्यालय आ गए। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में घटी इन घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन आपा खो बैठा था। हालांकि पुलिस ने उस रात तक मान सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की। पर उसके बाद ही पुलिस मुठौड़ में राजा मान सिंह की हत्या हो गयी। राजा मान सिंह ने भी जो कुछ किया था, वह कहीं से उचित नहीं था लेकिन इसके बावजूद शासन को इस प्रकरण में संयम से काम लेना चाहिए था। इसी तरह राजस्थान में जिन दिनों मुख्यमंत्री के पद पर हरिदेव जोशी आसीन थे, उसी दौरान राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप सिंह नीमरोट की रहस्यमय हत्या का आरोप उनके पुत्र दिनेश जोशी पर लगा था। जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जिस तरह बिहार के सामाजिक–राजनीतिक जीवन में सामंती दबाव सदैव बना रहा, राजस्थान में भी कुछ यही मिलती–जुलती स्थिति रही। राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, पाली, जैसलमेर आदि जिलों में समाज पर क्रूर सामंती शिकंजा कायम ही रहा। गरीब, कुचले लोग राजस्थान के इन सामंतों के सदैव क्रीत दास जैसे बने रहने को विवश रहे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के दलित हरिजनों की दशा ऐसी थी कि स्थानीय किसी होटल में जाकर खाना उनके लिए वर्जित था। राजस्थान में नौकरशाही की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। राजस्थान के श्रीगंगा नगर जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर जिन दिनों कन्हैयालाल वैरवा नामक पुलिस अधिकारी थे, उसी दौरान उनको लेकर राजस्थान की राजनीति में बहुत हंगामा मचा था। पुलिस अधीक्षक बैरवा पर गंभीर आरोप लगा था कि वे स्थानीय विधायक श्रीमती इकबाल कौर के पति वीरेन्द्र सिंह की साझेदारी में शराब का व्यवसाय चला रहे हैं और इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए खुलेआम अपराधियों को छूट दे रहे हैं। राजस्थान में पत्रिकारिता भी अपराधी रजनीति और प्रशासनिक समीकरण की अकसर शिकार होती रही है। राजस्थान के ब्यावर से निकलने वाले एक समाचार साप्ताहिक षनिरंतरश के संपादक राम प्रसाद कुमावत ने जब 1987 में अपराधी राजनीति और प्रशासन के रिश्तों को लगाकर अपने साप्ताहिक मे उजागर करना शुरू किया तो उन्हें काफी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। उन्हें हवालात तक की हवा खानी पड़ गयी।" खुशनुमा ठंडे प्रदेश हिमाचल की राजनीतिक आबोहवा भी कभी–कभार तल्ख होती ही रही है। जिन दिनों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वीरभद्र सिंह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान हिमाचल की घाटी के अंतर्गत स्थित दादासीबा नामक एक मामूली से रजवाड़े से संबंद्ध रही राजनी भाग्यवती ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह पर आरोप लगाया था कि वीरभद्र ने उनसे शारीरिक संबंध रखा था। हालांकि वीरभद्र सिह ने उस समय सफाई दी थी कि राजनीति रूप से विकृत उनके विपक्षियों ने उनका चरित्र हनन करने के लिए रानी भाग्यवती जैसी अभद्र महिला को अपना मुहरा बनाया है।

आंध्रप्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार के दौरान कांग्रेसी विधायक वागावीति मोहन रंगाराव की हत्या का प्रकरण भी कम सुर्ख नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश की अधिकांश सरकारों को पीपुल्सवार ग्रुप वालों की उग्रवादी गतिविधियों ने लगातार त्रस्त किए रखा था। आंध्रपद्रश के निवासी पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज हुए तो आंध्र प्रदेश में उनके परिवारजनों पर भी पीपुल्सवार ग्रुप की ओर से खतरा अचानक बढ़ गया था। नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनते ही पीपुल्सवार ग्रुप वालों ने उनके गांव वंगारा में धावा कर दिया था और ग्रामीणों को ताकीद की थी कि राव के खेत में काम करने का अंजाम बुरा होगा । पीपुल्सवार ग्रुप के नक्सलियों का आरोप था कि प्रधानमंत्री के परिवार के पास उनके गांव वंगारा में अभी भी बेहिसाब जमीन है और यह भूमि सुधार कानून का सरासर मजाक है। जाहिर है, देश में आजादी के बाद से भूमि सुधार कानून को कारगर करने के प्रति शीर्षस्थ राजनीतिज्ञों की उदासीनता ने भी अपराध को बढ़ावा दिया । चाहे भूमि सुधार के सवाल पर उग्र रूख अख्तियार किए बैठे आंध्र के नक्सली हों या बिहार के नक्सली, सब भूमि सुधार के मुद्दों को लेकर भीषण आक्रामक तेवर अपनाये हुए थे। सत्ता में काबिज जमींदार पृष्ठभूमि के राजनीतिज्ञों को कमोबेश आंध्र से लेकर बिहार जैसे प्रांत तक विभिन्न नक्सली गुटों ने यह आभास दिलाना तेज कर दिया था कि भूमि सुधार कानून को अब वे लोग ज्यादा दिनों तक अपनी गद्दी के नीचे दाब कर नहीं बैठे रह सकते है।

असम भी अलगाववादी–उग्रवादी राजनीति आंदोलन से लगातार त्रस्त रहा। बोडो तथा उल्फा उग्रवादियों ने असम के जनजीवन को लंबे समय तक तबाह किए रखा। असम के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के भाई की हत्या, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उद्योगपति स्वराजपाल के भाई सुरेन्द्रपाल की असम में हुई हत्या जैसी वारदातों से असम के जनजीवन की कथा रंगी पड़ी, सिहरी हुई है। 1991 में जब हितेश्वर सैकिया ने असम में फिर अपनी कांग्रेसी सरकार जिस दिन गठित की ऐन उसी दिन सैकिया की सरकार पर उग्रवादी तत्वों ने भारी वज्रपात किया था। पहली जुलाई 1991 के उस दिन सरकार के एक वरिष्ट आईएएस अधिकारी, ओएनजीसी के अभियंता जिनमें एक रूसी अभियंता भी शामिल था, का अपहरण उल्फा नामक उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों ने कर लिया था। अपहृत रूसी अभियंता सर्गेई ग्रिचिंको की हत्या भी उग्रवादियों ने अपहरण के बाद कर डाली थी। सत्ता में दोबारा आते ही उग्रवादियों से त्रस्त हो चुके मुख्यमंत्री सैकिया ने उसी समय घोषणा की थी कि अगर उल्फा उग्रवादी रास्ते पर आने को तैयार हों तो वे उन सबों को सरकार की तरफ से आम माफी देने के लिए तैयार है। पर सैकिया की इस अपील का भी कोई असर नहीं हुआ था। आखिरकार, इस विषम स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने असम में कुछ पहले चलाये जा चुके श्आपरेशन बजरंगश की तरह उल्फा उग्रवादियों के सफाये के लिए श्ऑपरेशन राइनोंश की घोषणा की थी। आपरेशन राइनों के सैन्य अभियान से असम में उल्फा उग्रवादियों की गतिविधियों पर थोड़ा लगाम लग सका। इस आपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री सैकिया ने कहा था कि उल्फा की गतिविधियों को भारत के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत देखा जाना चाहिए जो भारत विरोधी विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए कर रही है। सैकिया का दावा था कि उल्फा उग्रवादियों की कैम्प शाखाएं अरसे से बंग्लादेश में चल रही हैं और वहां से पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका तथा थाईलैंड से भी इन लोगों का संपर्क बना रहता है। सैकिया का कहना था कि कश्मीर तथा पंजाब के उग्रवादियों से भी इनके संपर्क बने हुए थे। 1991 के दिनों में मध्यप्रदेश के तत्कालीन भाजपाई मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा सहित मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेसी दिग्गज श्यामा चरण शुक्ल ने भी कहा था कि आंध्र प्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश तक में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के शविदेशी लिंकश हैं, जो भारत में अराजकता लाने के लिए तत्पर हैं। 1991 के दिनों में ही मध्यप्रदेश में इंदौर पुलिस ने पंजाब के दो कुख्यात उग्रवादियों माधो सिंह और अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। इन दो उग्रवादियों पर आरोप था कि ये नरसिंह राव सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चाह्वाण की पुत्री स्नेहलता पाटिल का अपहरण करने स्नेहलता के महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित निवास पर गए हुए थे। सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के कारण ये दोनों उग्रवादी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके और भाग कर सीधे इंदौर चले आए थे। उस दिन अगर ये उग्रवादी स्नेहलता को उठा लेने में सफल हो जाते तो देश के गृहमंत्री की पुत्री के अपहरण की यह दूसरी घटना हो जाती।

गुजरात और कर्नाटक सरीखे प्रांत भी आपराधिक राजनीतिक से कम आक्रांत नहीं रहे है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण दंगे के सिलसिले में शातिर अपराधी अब्दुल लतीफ का नाम किसी से छिपा नहीं रहा था। बाद में उसी अब्दुल लतीफ ने जब अहमदाबाद नगरपालिका के चुनाव में पांच सीट से एक साथ नामांकन दाखिल किया था तो पांचों सीट पर उसकी जीत हुई थी। पर सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जनमस्थल पोरबंदर राजनीतिक संरक्षण में चल रहे गुंडा–गिरोहों के खुनी टकरावों को लेकर अकसर सुरखियां बनता रहा है। दलबदल करने में महारथी गुजरात के राजनीतिक दिग्गज चिमन भाई पटेल सर्वप्रथम 1973 में गुजरात के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। उनके भ्रष्ट शासनकाल में अपराधी तत्वो को जमकर शह मिलती रही थी। वही चिमन भाई सोलह वर्षों की सुदीर्घ अवधि के बाद फिर जनतादल सरकार के मुख्यमंत्री बनकर आए और अंततः दल बदलते–बदलते वे फिर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए। विभिन्न प्रांतों में दलबदल की राजनीतिक विडंबना ने भी राजनीति में अपराधी तत्वों के रूतबे को बढ़ाया। हरियाणा, गुजरात आदि प्रांत तो इसके प्रमुख उदाहरण हैं द्य राजनीतिक हत्याओं का प्रकरण बिहार की तरह गुजरात में भी घटित होने लगा। 9 अक्टूबर 1992 को अहमदाबाद में गुजरात के पुराने कांग्रेसी नेता रऊफ वाली उल्लाह का दिनदहाड़े खून हो गया था। रऊफ को हत्या के बाद अटकलों का दौर गर्म था । राजनीतिक तीरंदाजों का कहना था कि रऊफ वलीउल्लाह मुख्यमंत्री चिमन भाई के कारनामें के विरूद्ध एक वृहद ज्ञापन तैयार कर कांग्रेस आलाकमान को दो दिन बाद ही दिल्ली जाकर देने वाले थे कि उसके पूर्व वे जान से हाथ धो बैठे। कुछ लोंगों का यह भी मानना था कि रऊफ की हत्या में अहमदाबाद के शातिर अपराधी सरगना अब्दुल लतीफ का हाथ था।

बहरहाल, जो भी हो, गुजरात में कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह की यह राजनीतिक हत्या प्रथम राजनीति हत्या की घटना नहीं थी। सत्य–अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के गृह प्रदेश गुजरात में इसके पहले भी गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके वल्लभ भाई पटेल, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे अशोक भोगीलाल पटेल, विधायक पोपटलाल सोराठिया, भीमाजी भाई कालावाड़िया आदि राजनीतिक हत्या के शिकार हो चुके थे। और यह सिलसिला थमनेवाला भी नहीं था। अक्टूबर 1992 में रऊफ वलीउल्लाह के खून के बाद गुजरात के राजकोट राजघराने के वारिस और पूर्व कांग्रेसी मंत्री मनोहर सिंह जाडेजा पर भी अपराधियों ने धावा किया था। पर उस फायरिंग में किसी तरह मनोहर सिंह जाडेजा बच निकले थे। उल्लेखनीय है कि मनोहर सिंह भी चिमन विरोधी कांग्रेसी नेता थे, जो चिमन भाई के खिलाफ अकसर शिकायत लेकर दिल्ली जाते रहे थे। क्षुब्ध मनोहर सिंह जाडेजा ने अपने ऊपर हमले के बाद कहा था–ष्गुजरात भी बिहार बनता जा रहा हैं।ष राजनीति

में अपराधियों का दबदबा कर्नाटक में भी लगातार लहराता रहा। कर्नाटक के दंगों को लेकर एक मंत्री सीएम इब्राहिम अकसर चर्चित होते रहे थे। कर्नाटक का पड़ोसी प्रांत महाराष्ट्र तो बंबई के कुख्यात माफिया डॉनों और दिग्गज राजनीतिज्ञों के रिश्तों को लेकर सदैव तड़पता रहा। महाराष्ट्र के उल्हासनगर के कांग्रेसी विधायक पप्पू कालानी से लेकर महाराष्ट्र के वसई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक हितेन्द्र ठाकुर तक के रिश्ते बंबई के कुख्यात डॉनों से तो रहे ही. अनगिनत हत्याओं में इन विधायकों का नाम जगजाहिर था। हालांकि 5 दिसंबर 1992 को विधायक हितेन्द्र ठाकुर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन उसने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक एस राममूर्ति को साफ कहा–ष्देख लीजिएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।ष भारत की मायानगरी बंबई में साधरण कुली से शुरू हुए मिर्जाहाजी मस्तान जैसे लोग सोने की तस्करी के दम पर अरबों–खरबों में खेलने लगे थे। बंबई में इन सोने के तस्करों, डॉनों के उदय को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की स्पष्ट मान्यता थी कि भारतीय वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने देश में सोने के नियंत्रण का जो निर्णय लिया, उसी दिन से बंबई में युसूफ पटेल, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदालियार और सुकुर नारायण बखिया जैसे तस्कर तेजी से फलते–फूलते गए। जैसे धनबाद में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से सूर्यदेव सिंह जैसे कोयला खदानों के पहलवान कुबेर बन गए, उसी तरह देश में स्वर्ण नियंत्रण संबंधी मोरारजी भाई के निर्णय ने बंबई में इन डॉनों को रातोंरात खड़ा कर दिया। आपातकाल के बाद जब जनतापार्टी की हुकुमत आयी तो राजनीतिक कैदियों के संग–संग अनगिनत शातिर अपराधी सरगना भी जेल से छोड़ दिए गए थे। लिहाजा, कुछ समय के लिए ठहरा हुआ अपराध फिर जमकर जोर पकड़ गया था। 1980 में आकर महाराष्ट्र के अपराधी तत्व अब बड़ी–बड़ी इमारतों के निर्माता बनकर राजनीतिक संरक्षण में कारोबार फैलाने लगे ओर बंबई फिर से दाऊद इब्राहिम, आलमजेब, महेश ढोलकिया, रमाकांत नाईक, अमीरजादा, समदखान आदि शातिर अपराधियों का अभयारण्य बन गया। जिस बंबई पुलिस की पूरे देश में अपनी कार्यशैली को लेकर प्रतिष्ठा थी, वहीं बंबई पुलिस राजनीति दबावों के कारण इन अपराधियों को चुप बैठी देखने को विवश होती गयी। छठे दशक के बाद से ही बंबई में अपराधियों के तेज उभार ने पुलिस को निरीह बना दिया था। हाजी मस्तान जैसे कुख्यात तस्कर राजनीतिक–सामाजिक कार्यों के बहाने पूरे देश मे विचरण करने लगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तान ने काफी पैसे अपनी कथित सामाजिक कार्यक्रम की यात्राओं पर खर्च किए। 1993 में बंबई में एकबार फिर श्मशान की सी स्तब्धता छा गयी थी। 12 मार्च 1993 को बंबई में भीषण बम विस्फोटों ने कहर मचाकर रख दिया था। दरअसल, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने की घटना के बाद से ही बंबई में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण तेजी से बनता गया था। 6 जनवरी 1993 से बबई बकायदे दंगे की चपेट में आ गया। इस समय सुधाकर नाइक मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व में दंगा नियंत्रित नहीं होता देख, मुख्यमंत्री पद से सुधाकर नाइक को हटाकर कांग्रेस आलाकमान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के पद से शरद पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बंबई की स्थिति को काबू करने भेजा था कि अचानक 12 मार्च 1993 को बंबई में भीषण अनियंत्रित बमबारियों ने फिर से प्रदेश की सत्ता में आकर बैठे मुख्यमंत्री शरद पवार को भी दहला कर रख दिया था। बंबई के हादसे का षड्यंत्र करनमें में बंबई निवासी मेमन परिवार के दो भाइयों इस्माइल उर्फ टाइगर मेमन और याकूब मेमन का नाम आया था। ये दोनों भाई बंबई में बम विस्फोट के एक दिन पूर्व ही दुबई भाग गए थे और फिर दुबई से पाकिस्तान । कहते हैं, बंबई के इस हादसे में दुबई में बैठकर बंबई के अंडरवर्ल्ड को लगातार संचालित करनेवाले कुख्यात डॉन और तस्कर दाउद इब्राहीम का हाथ था । बंबई विस्फोट के सिलसिले में पकड़े गये कुख्यात डॉन रूसी पठान के संबंध मध्यप्रदेश के कांग्रेसी दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल से होने की बात काफी सुरखियों में आयी थी। बंबई के इस भीषण विस्फोट के क्रम में जारी धरपकड़ में बंबई से कांग्रेसी सांसद रहे अभिनेता सुनील दत्त के अभिनेता पुत्र संजय दत्त को एके–56 राइफल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यहीं नहीं, कई रोमांचक तथ्य सामने आये जिससे साबित होता था कि बंबई के फिल्म जगत का बीते वर्षों में किस तरह अपराधीकरण हुआ है और बंबई फिल्म जगत की बागडोर दाउद इब्राहीम जैसे तस्करों के हाथ में है। कलकत्ता बम विस्फोट के सूत्रधार –षड्यंत्रकारी राशिद खान के बारे में पश्चिम बंगाल के कांग्रेसियों का आरोप था कि राशिद वाममोर्चा सरकार का अर्से से पालतू अपराधी सरगना रहा था। 29 मई 1993 को महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना के विधायक 40 वर्षीय रमेश शंकर मोरे की हत्या तब हो यगी थी जब वे उंबई के अंधेरी स्थित अपने घर आ रहे थे। विधायक रमेश मोरे की हत्या के ठीक दो दिन बाद ही यानी 1 जून 1993 को महाराष्ट्र विधान सभा के तेज तर्रार भाजपा विधायक 47 वर्षीय प्रेम कुमार शर्मा का भी खून हो गया। लगातार दोनों विधायकों की हत्या को लेकर जाहिर था, सनसनी मच गयी थी। इन हादसों के कुछ ही पहले बंबई में मुस्लीम लीग के एक पूर्व विधायक जियाउद्दीन बुख□ारी का खून हो गया था। एक राष्ट्रीय दैनिक ने उस समय अपने संपादकीय में लिखा था–ष्बंबई के विधायकों की हत्या का एक और पहलू भी है। उसका रिश्ता राजनीति के अपराधीकरण की उस प्रक्रिया में राजनीतिक को माध्य बनाकर अपराधी तत्वों द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने के साथ–साथ अपराधी तत्वों की मदद से राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि की कथा भी जुड़ी हुई है। जहां तक बंबई का प्रश्न है, राजनीति और अपराध के रिश्तों की परतें चार साल पहले शिवसेना पार्षद सतीश खोपकर की हत्या के साथ खुलनी शुरू हुई थी। उसके एक साल बाद ही शिवसेना के ही एक और पार्षद विनायक वाबले की हत्या हुई थी। वर्ष 1992 मार्च में शिवसेना के एक विधायक विठ्ठल चव्हाण को मार दिया गया था और फिर शिवसेना के ही एक और पार्षद खीम बहादुर थापा गोलियों के शिकार हुए थे।

निष्कर्ष

सचमुच, हालात बद से बदतर होते गए। देश के लगभग सभी प्रांतों को राजनीति के अपराधीकरण ने इतनी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपराध और उग्रवाद के बीच देश के लोग घुटने को विवश होते गए। गोवा जैसे छोटे से प्रांत को भी इस रोग ने नहीं छोड़ा। एक जहाज कंपनी में कभी मामूली मुलाजिम रह चुके चर्चिल अलेमाओं जो बाद मे गोवा की सत्ता में भी आए पर अपराध के बेशुमार घृणित मामले दर्ज थे। अपहरण, मुठभेड़, जमीन–कब्जा सरीखे अनगिनत आरोप अलेमाओं पर चलते रहे थे। स्थिति सचमुच रोंगटे खड़े करने वाली थी। श्नेशनल क्रइम रिकार्ड ब्यूरोश के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में अपरध की स्थिति गुजरे वर्षों से अत्यंत ही संगीन होती गयी है। बेतहाशा बढ़ते जा रहे अपराध पर परदा डालने के लिये सत्ताधारियों ने कई नुस्खे कारगर ढंग से आजमाये। भारत के लगभग सभी पुलिस स्टेशनों को यह सख्त हिदायत दी गयी कि वे अपराध सूची को सदैव नियंत्रित ढंग से प्रस्तुत किया करें। लिहाजा, अपराध का आंकड़ा घटा कर दिखाने के लिए पुलिस वाले प्राथमिकी दर्ज करने से कतराने लगे। राज्य सरकारें इसलिए सदैव तत्पर रहीं कि उनके प्रांत में अपराध की घटनाएं लोगों की नजर में उजागर नहीं हों। पुलिस वाले भी इस स्थिति का जमकर दुरूपयोग करने लगे। प्राथमिकी दर्ज करने के लिये वे खुलेआम पैसे लेने लग गए।

राजनीति ने हिंसा के विभिन्न नुस्खों को आजमा कर समाज को लगातार अपराधग्रस्त करना जारी रखा और साथ ही समाज की सांस्कृतिक चेतना को भी खत्म करने की मुहिम तेज रखी। पहली जनवरी 1989 को देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी की हत्या इस सिलसिले में उल्लेखनीय है। पत्रकारिता भी हत्यारी राजनीतिक–संस्कृति के तीखे वार रह–रह कर झेलती रही। अपनी तारीफ करवाने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों के नेताओं ने अपना अखबार निकालने का भी सिलसिला चलाया । इस तरह घटनाएं और उदाहरण अनंत हैं।

भारत में राजनीतिक अपराधिकरण का प्रशासनिक तंत्र पर प्रभाव इस तरह व्याप्त हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को अवरूद्ध कर दिया है। हिंसा की घटनाओं में अधिकांशतः इन्हीं का हाथ रहता है। प्रशासनिक तंत्र को ये इतना प्रभावित किए हुए रहते हैं कि किसी अपराधिक घटना में इनका नाम आने पर भी कोई आंच नहीं आ पाता है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

संदर्भ स्रोत

- ब्रेचा, माइकेल रू पॉलिटिकल लीडरशिप इन इंडिया, ऐन एनेलिसिस ऑफ इलीट ऐटीच्यूड्स, न्यायार्क, 1969 पृ0–12
- भार्गवा, जी. एस. रू पॉलिटिक्स करप्शन इन इंडिया, पॉपुलर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली, ऋऋऋ1967 पृ0 – 36–42
- भार्गवा, जी. एस. रू ऑफ्टर नेहरू, इंडिया न्यू इमेज. एलॉयड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1966 पृ0–28–32
- भीखू, पारिख (एडीटेड) एंड बर्की, आर0 एन0 : दी भोरेलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, जार्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1972 पृ0–52–57
- बख्शी, उपेन्द्र रू दी इंडियान सुप्रीम कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 1980 पृ0 ––45–48
- बख्शी, उपेन्द्र रू ऑन दि शेम ऑफ नाइट बीडंग इन एक्टिविस्ट थाट ऑन जूडिशियल एक्टीविज्म, इंडियन बार रिव्यू, वॉल्यू0–2 (3). 1984 पृ0 –71–74
- बसु, डी0 डी0 : लिमिटेड गवर्नमेंट एंड ज्यूडीशियल रिव्यू एस0 सी0 सरकार एंड सन्स, कोलकाता, 1972 पृ0–53–58
- बेल, जॉन रू पॉलिसी ऑर्ग्युमेन्ट्स इन ज्यूडीशियल डिसीजन्स, क्लेरेन्डन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1983 पृ0–22–27
- ब्रोगेन, डी0 डब्ल्यूल रू पॉलिटिक्स एंड लॉ इन दि यूनाईटेड स्टेट्स यूनीवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 1994 पृ0–64–69
- कानोलो, ई0 विलियम रू पॉलिटिक्स एंड ऐम्बीगुइटी, दि युनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्रेस, 1967 पृ0–68–70
- कार्डोजो, बी0 : दि नेयर ऑफ ज्येडीशियल प्रासेस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, हेवेन, 1921 पृ0 –73–76
- कॉक्स, आर्चीबाल्ड रू दि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका गवर्नमेंट क्लेरेन्डॉन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976 पृ0–42–47
- दास, बी, सी. रू इंडियन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1976 पृ0 –18–25
- दास, बी, सी. रू पॉलिटिक्स डेवलपमेन्ट इन इंडिया य आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1978 पृ0 –76–80
- दास, डॉ0 एच0 एन0 : पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, अनमोल पब्लिकेशन (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998